(20)

सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्यप्रदेश

1250,तुलसी नगर, भोपाल– 462003
फेक्स–2552665 ई–मेल : dpswbpl@mp.nic.in

क्रमांक नि.क. /2013/1496 भोपाल, दिनांक ~~08~~ 12–08–2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :– शिक्षा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

––0––

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत शिक्षा प्रोत्साहन की नई योजना दिनांक 19–7–2013 से प्रारम्भ की गई है जिसके अंतर्गत कक्षा 10वीं में प्रवेश करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों को लेपटाप एवं मोट्रेट ट्रायसिकल दिये जाने का प्रावधान है। शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निःशक्त विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक/पालक की आय का बन्धन भी समाप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सभी प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य माप्रदण्ड पूर्ण करने पर शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है।

शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013–14 में कक्षा 10वीं, 11वीं में प्रवेश का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा जिन निःशक्त विद्यार्थियों ने कक्षा–10वीं में प्रवेश लिया है उसकी जानकारी भी जिले के कलेक्टर के पास में सर्वशिक्षा अभियान के पोर्टल के अनुसार उपलब्ध होगी।

अतः अनुरोध है कि 15 अगस्त 2013 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पात्र हितग्राहियों को लेपटाप और मोट्रेट ट्रायसिकल का वितरण करना सुनिश्चित किया जाये और कितने हितग्राहियों को इसके लिये चुना गया है इसकी सूची आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग को दिनांक 14–8–2013 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।

(व्ही.के.बाथम)
आयुक्त,
सामाजिक न्याय म0प्र0

पृ0क्र0 नि.क. /2013/1497 भोपाल, दिनांक ~~08~~ 12–08–2013

प्रतिलिपि :–

1. सभागीय आयुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश
2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश

आयुक्त,
O/C सामाजिक न्याय म0प्र0

N.K.Leter.doc

(81)

सामाजिक न्याय संचालनालय,मध्यप्रदेश

1250, तुलसी नगर, भोपाल 462003
दूरभाष–कार्या. 2556916, निवास–2431863, फैक्स–2552665

क्रमांक/निःक0–5/ /2013/1503 भोपाल,दिनांक 13.08.2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
   सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश

विषयः– मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना ।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधानुसार, निःशक्त व्यक्तियो का शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना 20 जून 2013 से प्रारंभ की गई है ।

2. ऐसे निःशक्त विद्यार्थी जो दोनो पैरो से चलने में समक्ष नहीं है, दृष्टि बाधित /श्रवण बाधित विद्यार्थियो को अध्ययन हेतु सहायक उपकरण उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्वेश्य है, ताकि निःशक्त विद्यार्थियो को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके । इन निःशक्त विद्यार्थियो को निम्न सहायता दी जाना है :–

सहायता का स्वरूप :–

निःशक्तता की श्रेणी	सामग्री का नाम	प्रथम बार	द्वितीय बार
मंदबुद्धि	लेपटाप	10 वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही	स्नातक/पोलिटेक्निक में प्रवेश लेने पर
दृष्टि बाधित	—"—	—"—	—"—
श्रवण बाधित	—"—	—"—	—"—
अस्थि बाधित (दोनो हाथ न होने पर)	—"—	—"—	—"—
अस्थि बाधित (दोनो पैरो से चलने में अक्षम)	मोट्रेट ट्रायसिकल	—"—	—"—

12

पात्रता के मापदण्डः–

(1) मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो ।

(2) अस्थि बाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो एवं अन्य श्रेणी के निःशक्तजनो ने 50 प्रतिशत अंग प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पोलीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो ।

(3) निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्तता की श्रेणी में आते हुये, अस्थि बाधित जो दोनो पैरो से चलने में असमर्थ, दृष्टिबाधित 40 प्रतिशत से अधिक, श्रवण बाधित 40 प्रतिशत से अधिक, मंदबुद्वि जिनको चिकित्सको द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(4) विद्यार्थी के माता पिता/अभिभावक की संयुक्त आय रूपये 96000/– वार्षिक से अधिक न हो ।

(5) निःशक्त विद्यार्थी का स्पर्श अभियान के पोर्टल में नाम अंकित हो ।

3. म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग के आदेश क्रंएफ 3–26/2013/26–2 भोपाल दिनांक 19.7.2013 से निःशक्त व्यक्तियो के सामाजिक पुनर्वास एवं सशक्तिकरण के उद्वेश्य से संचालित सभी शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित योजनाओ में पात्रता के मापदंड मे निःशक्त छात्र/छात्रा के माता पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96000/– के बंधन को समाप्त किया है ।

4. अतः चयनित हितग्राहियो को 15 अगस्त 2013 को मुख्य कार्यक्रम में अनिवार्यतः सामग्री वितरित करवाई जावे, तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावे ।

(वी0के0 बाथम)
आयुक्त पदेन सचिव
o/c सामाजिक न्याय, म0प्र0